पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण में महिलाओं की भूमिका

जे.एस.विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उ0प्र0

रिर्पोट मिशन शक्ति (30–04–2022)

पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण में महिलाओं की भूमिका पर संगोष्ठी का आयोजन

जे.एस.विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग द्वारा दिनांक 30–4–2022 को मिशन शक्ति विशेष अभियान के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विचार गौष्ठी का आयोजन किया गया कार्यक्रम का सुभारंभ जे.एस.विश्वविद्यालय के मा0 चांसलर प्रोफेसर सुकेश कुमार जी द्वारा किया गया जिसमें उन्होनें महिलाओं की पंचायती राज में विविध भूमिकाओं का विषद चर्चा की। इसके उपरांत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुये विश्वविद्यालय के डायरेक्टर जनरल डॉ0 गौरव यादव जी ने महिलाओं की पंचायती राज में राजनैतिक एवं सामाजिक भागीदारी पर विषद वियाख्यान प्रस्तुत करते हुये बताया कि महिलायें समाज के सभी क्षेत्रों में आज अपना परचम लहरा रही हैं उनकी सामाजिक विकास में विशेष भूमिका है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र/छात्राओं ने सहभागिता की इसके अलावा विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्षों एवं शिक्षकों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम का आयोजन समाजशास्त्र विभाग द्वारा किया गया जिसमें समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो0 शैलेन्द्र सिंह ने उपरोक्त संगोष्ठी पर बीज वकतव्य प्रस्तुत करते हुये बताया कि भारत की आधी आबादी महिलायें हैं। जिनका देश के विकास में उतना ही महत्व है जितना पुरूषों का किन्तु पिछड़ी हुई मानसिकता के चलते यहां के लोगों ने महिलाओं को दोयमदर्जा प्रदान किया। महिलाओं का आदिकाल से शोषण होता आ रहा है किन्तु भारतीय संविधान लागू होने के बाद महिलाओं का समाज में उत्थान ही नहीं हुआ बल्कि उन्हें संविधान के द्वारा समानता के आधार पर समान अधिकार प्रदान किये गये जिसके चलते महिलाओं ने शोषण एवं अन्याय से मुक्ति पायी।

पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण में महिलाओं की भूमिका से आशय महिलाओं की पंचायती राज में भागीदारी से है 73 वें संविधान संशोधन में महिलाओं के प्रदान पद के अवसरों हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिसके चलते महिलायें पंचायती राज में ग्राम प्रधान बनकर अपनी भूमिका का भली भॉति निर्वाह कर रही हैं और वह पंचायती राज के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं।

भारत में ग्राम पंचायत प्राचीन काल से देखने को मिलती है। विकेन्द्रीकरण का सबसे प्रारम्भ स्तर गाँव पंचायत ही है। देश के विकास के लिए गाँवों का विकास अति आवश्यक हैं।

प्राचीन काल में गाँव लगभग आत्मनिर्भर हुआ करते थे और ग्रामीण प्रशासन, समस्या, समाधान हेतु पंचायतें हुआ करतीं थीं। शुक्रनीति में ग्राम पंचायत का विस्तृत वर्णन मिलता है। उस समय ग्राम पंचायतें निर्वाचित होतीं थीं। यह संगठन पांच निर्वाचित व्यक्तियों को मिलाकर हुआ करता था। इसी कारण इसे पंचायत कहा जाता था। ये पंचायतें गाँव के लगभग सभी मामलों में दखलंदाजी करती थीं। इसे कार्यपालिका एवं न्यापालिका सम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे। भूमि वितरण कर निर्धारण व सूली, शक्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवा कार्य पंचायते ही करती थी।

वास्तव में भारतीय दृष्टिकोंण से ग्राम पंचायत स्वराज्य और स्वशासन की बुनियादी और सबसे छोटी इकाई है। शासन में विकेन्द्रीकरण के परिणाम स्वरूप अनेकों पंचायतें स्थापित की गयीं हैं। गाँव में जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए ग्राम पंचायतों को अनेको अधिकार प्रदान है। पंचायत को गाँवों के विकास का अधिकार सौपा गया है। पंचायती राज ग्रामीण समाज के लाभ के लिए ग्राम वासियों की अपनी संस्था है। जो कि गाँव के सामूहिक जीवन का प्रतीक हैं। वर्तमान समय में तो ग्राम प्रधान, सदस्यों आदि को प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है।

2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ हुआ। पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना का आधार विकेन्द्रीकरण की परिकल्पना है जिसका प्रथम अंश पंचायती राज है।

दिनांक : 30 April 2022 (पंचायती राज्य के सुदृढीकरण मे महिलाओं की भूमिका)

दिनांक : 30 April 2022 (पंचायती राज्य के सुदृढीकरण मे महिलाओं की भूमिका)